राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

आदेश संख्या: SHSB/GA/HR/7082/2021/**3230** पटना, दिनांक: 28/08/2021

-: आदेश :-

विज्ञापन संख्या-11/2020 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत RBSK कार्यक्रम के तहत DEIC में रिक्त **STAFF NURSE** के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को एकमुश्त मानदेय **₹20, 000/-** (बीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह पर नियोजन हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित जिला के सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन पदस्थापन किया जाता है। इनकी नियुक्ति उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। जिनके पास वैध BNRC निबंधन प्रमाण-पत्र नहीं है, उनका चयन एवं पदस्थापन पूर्णत: औपबंधिक है।

क्र.सं.	रौल नं०	Staff Nurse (RBSK-DEIC)	जन्मतिथि	चयनित कोटि	पदस्थापन जिला
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	33820723	Raman Lal	01-Jul-98	UR	Bhagalpur
2.	33219716	Rahul Somarwal	05-Aug-98	UR	Darbhanga
3.	20407963	Vikram Yadav	15-Dec-95	UR	Gaya
4.	14607285	Km Shiksha Yadav	07-Jul-98	UR	Munger
5.	13505388	Sudha Singh	27-Jul-99	UR	Muzaffarpur

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे:-

i) **दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक** उपरोक्त अपने नाम के सामने स्तंभ-6 में आवंटित जिला के जिला स्वास्थ्य समिति में अपना BNRC निबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए योगदान देना सुनिश्चित करें।

ii) बिना BNRC निबंधन प्रमाण-पत्र के अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

iii) योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए ₹1,000/- का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (जो लागू हो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे और जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एकरारनामा सम्पन्न करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

iv) यदि सरकारी सेवा या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत है अथवा अनुबंध पर कार्यरत है, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290328, फैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

v) यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजत अभ्यर्थियों के **संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक** के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Record of Proceeding (RoP) में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक, जो भी पहले हो, के आलोक में सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

vi) चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

vii) आवंटित जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

viii) उक्त अभ्यर्थियों का चयन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जाएगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत् कार्रवाई भी की जाएगी।

3. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, चयनित STAFF NURSE के योगदान के तुरंत बाद उन्हें संबंधित RBSK-DEIC में पदस्थापित करेंगे। मानदेय/प्रतिमाह FMR code-8.1.7.2.4 के तहत विकलनीय होगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को निदेश दिया जाता है कि वे अभ्यर्थियों का BNRC, पटना से BNRC निबंधन प्रमाण-पत्र के सत्यापनोपरान्त उनका योगदान स्वीकृत करेंगे तथा तदनुसार एकरारनामा सम्पन्न कर यथाशीघ्र RBSK-DEIC में पदस्थापित करते हुए इसकी सूचना निश्चित रूप से इस कार्यालय के E-Mail ID: **shsbhrcell@yahoo.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश में कुल 03 पृष्ठ है एवं सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित है।

28/8/21

(संजय कुमार सिंह)

*ज्ञापांक : SHSB/GA/HR/7082/2021/***3230** पटना, *दिनांक: 28/08/2021*

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी-RBSK-DEIC, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी नवचयनित STAFF NURSE को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। **निदेशित है कि वे संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष BNRC, पटना से निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए ससमय अपना योगदान को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।**

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/8/21

कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार